

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ त. 114-009/2003/20-01-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 328]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई 2020—आषाढ़ 30, शक 1942

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 21 जुलाई 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-55/तीन-जेल/2017.—कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का सं. 9) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ कारागार नियम, 1968 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 815 के उप-नियम (1) में, शब्द एवं चिन्ह “केन्द्रीय जेल के लिये 6, जिला जेल प्रत्येक के लिये 3 एवं प्रत्येक उपजेल के लिये 2” के स्थान पर, शब्द एवं चिन्ह “केन्द्रीय जेल के लिये 9, प्रत्येक जिला जेल के लिये 5 एवं प्रत्येक उपजेल के लिये 3” प्रतिस्थापित किया जाये.

No. F 4-55/Three-jail/2017.—In exercise of the powers conferred by Section 59 of the Prisons Act, 1894 (No. IX of 1894), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Prisons Rules, 1968, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

In sub-rule (1) of rule 815, for the words and symbol “six each for Central, three each for District and two each for subsidiary jails”, the words and symbol “9 for Central, 5 each for District and 3 each for subsidiary jails” shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.